बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में परिवहन विभाग के जिला परिवहन कार्यालयों एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त निम्न वर्गीय लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत कर्मियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

1. **चयन की प्रक्रिया एवं शर्त्ते : –**

(i) लिपिक (निम्नवर्गीय एवं उच्चवर्गीय) से सेवानिवृत हुए कर्मी ही संविदा चयन हेतु उपयुक्त होंगे।

(ii) पूर्व से सेवानिवृत कर्मी राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे तथा उक्त पदों के लिए अनुशंसा इस निमित्त गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी। आवेदक अपनी इच्छानुसार प्राथमिकता क्रम में चार जिलों का नाम दे सकेंगे।

(iii) उपरोक्त नियोजन संलग्न सूची में अंकित रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा।

(iv) उपरोक्त नियोजन संलग्न सूची में अंकित कोटि अनुसार किया जायेगा।

(v) चयन हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार होगाः–

(क) परिवहन विभाग के सेवानिवृत कर्मी,

(ख) समाहरणालय के सेवानिवृत लिपिकीय संवर्ग/लेखा संवर्ग कर्मी

(ग) अन्य विभागों के लिपिकीय कर्मियों/लेखा संवर्ग कर्मी,

(घ) बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मी ,

(ड़) एक से अधिक आवेदन आने पर प्राथमिकता के अन्दर प्राथमिकता कम उम्र वाले को दी जायगी।

(च) इसी प्राथमिकता के आधार पर आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता के आलोक में जिला आवंटित किया जायगा।

(vi) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा आवेदन की तिथि को 62 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में पुनः नियोजित किये गये संविदरत सेवानिवृति सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से 65 वर्ष की बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेंगा।

(vii) विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(viii) चयनित सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ix) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

2. **मानदेय–** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–10,000 दिनांक 10 जुलाई, 2015 के अनुसार निर्धारित किया जायगा।

3. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

5. **निम्न कोटि के कर्मियों का नियोजन नहीं किया जा सकेगा :–**

   (i) जिन पर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा है।

   (ii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

   (iii) जिन पर किसी तरह का अपराधिक मामला दर्ज हो।

   (iv) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम न हो।

6. आवेदन पत्र निबंधित डाक से, ई–मेल (stcbihar@gmail.com) से अथवा स्वयं विश्वेश्वरैया भवन स्थित राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक–**21.01.2019** के **अपराह्न 05:00 बजे** तक प्राप्त किए जाएँगे।

7. आवेदन हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र एवं विभिन्न कार्यालयों की कोटिवार रिक्ति की स्थिति परिवहन विभाग के **वेबसाईट www/transport.bih.nic.in** से डाउन लोड किया जा सकता है।

8. परिवहन विभाग, बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि आवश्यकतानुसार अनुशंसित कर्मियों की नियुक्ति की जाय अथवा नहीं।

9. उपर्युक्त के सन्दर्भ में किसी भी संशय की विवेचना सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 में विहित प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

6 F:\Suman sir\office order.docx

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवा निवृत कर्मियों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में विभिन्न जिलों की कोटिवार रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्च वर्गीय लिपिक

क्र0	जिला का नाम	रिक्ति की सं0	आरक्षण कोटि					
			अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ
1.	औरंगाबाद	02	पुरुष–01	–	पुरुष–01	–	–	–
2	अररिया	01	महिला–01	–	–	–	–	–
3	भभूआ	03	पुरुष–01	पुरुष–01	–	पुरुष–01	–	–
4	भागलपुर	09	पुरुष–03 महिला–02	महिला–01	महिला–01 पुरुष–01	महिला–01	–	–
5	भोजपुर	01	–	–	–	पुरुष–01	–	–
6	बेगुसराय	05	पुरुष–02 महिला–01	–	पुरुष–01	–	–	01
7	बक्सर	04	पुरुष–02	पुरुष–01		महिला–01	–	–
8	बेतिया	02	महिला–01	–	महिला–01		–	–
9	बांका	01	–	–	–	पुरुष–01	–	–
10	दरभंगा	05	पुरुष–02 महिला–01	पुरुष–01	पुरुष–01	–	–	–
11	गया	11	पुरुष–04 महिला–01	महिला–01	पुरुष–01 महिला–01	पुरुष–01 महिला–01	पुरुष–01	–
12	गोपालगंज	03	पुरुष–01 महिला–01	पुरुष–01	–	–	–	–
13	जहानाबाद	01	–	–	–	पुरुष–01	–	–
14	खगड़िया	01	महिला–01	–	–	–	–	–
15	कटिहार	02	पुरुष–01	–	पुरुष–01	–	–	–
16	किशनगंज	01	–	–	–	–	–	01
17	मुजफ्फरपुर	14	पुरुष–05 महिला–02	पुरुष–01 महिला–01	पुरुष–02 महिला–01	पुरुष–01 महिला–01	–	–
18	मुंगेर	07	पुरुष–02 महिला–02	पुरुष–01	पुरुष–01	पुरुष–01	–	–
19	मोतिहारी	04	पुरुष–02	–	महिला–01	पुरुष–01	–	–
20	मधुबनी	01	–	–	–	महिला–01	–	–
21	नालंदा	01	महिला–01	–	–	–	–	–
22	नवादा	04	पुरुष–02	पुरुष–01	पुरुष–01		–	–
23	पटना	11	पुरुष–03 महिला–02	महिला–01	पुरुष–01 महिला–01	पुरुष–02	–	01
24	पूर्णिया	09	पुरुष–03 महिला–02	पुरुष–01	पुरुष–01 महिला–01	महिला–01	–	–
25	रोहतास	02	पुरुष–01	–	–	पुरुष–01	–	–
26	सारण	09	पुरुष–03 महिला–01	पुरुष–01 महिला–01	पुरुष–01 महिला–01	महिला–01	–	–
27	सहरसा	06	पुरुष–02 महिला–01	–	पुरुष–01	पुरुष–01	–	01
28	सीतामढ़ी	01	महिला–01	–	–	–	–	–
29	समस्तीपुर	03	पुरुष–01	पुरुष–01	–	महिला–01	–	–
30	सिवान	02	पुरुष–01	–	महिला–01	–	–	–
31	शिवहर	01	महिला–01	–	–	–	–	–
32	वैशाली	01	–	–	–	पुरुष–01	–	–
	कुल	128	64	15	23	21	01	04

28 F:\Suman sir\office order.docx

परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पदों पर सेवानिवृत लिपिकों की संविदा की आधार पर कुल 128 रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:–

क्र0 सं0	कोटि	अनुमान्य पदों की सं0	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	विकलांगता अधिनियम 1995 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदारों के 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या	
1	अनारक्षित	64	22	02	दृष्टि बाधित (VI)	02
2	अनुसूचित जाति	21	08		मूक बधिर (DD)	01
3	अनुसूचित जनजाति	01	00		अस्थि विकलांग (OH)	01
4	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	23	09		मनोविकार (OH)	01
5	पिछड़ा वर्ग	15	05			
6	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	04	00			
	कुल	128	43			

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

29 F:\Suman sir\office order.docx

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार।

1. आवेदक का नाम	
2. दिनांक 01.10.2018 को उम्र	
3. आरक्षण श्रेणी	
4. विभाग/कार्यालय का नाम (जहाँ से सेवानिवृत हुए है)	
5. सेवानिवृति की तिथि	
6. सेवानिवृति के समय धारित पद	
7. अंतिम वेतन	(i) मूल वेतनः– (ii) ग्रेड पेः–
8. पेंशन स्वीकृति की स्थिति (सही का निशान लगायें तथा आदेश की प्रति संलग्न करें)	(i) स्वीकृत (ii) स्वीकृत नहीं (iii) औपबंधिक रूप से स्वीकृत
9. पेंशन की स्वीकृत राशि (पेशन+मँहगाई राहत आदि कुल जोड़कर)	
10.सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/विभागीय कार्रवाई की स्थिति	

11. आरोप के निष्पादन की स्थिति/अधिरोपित दंड का विवरण	
12. वर्तमान पता	
13. स्थायी पता	
14. पदस्थापन हेतु प्राथमिकता क्रम में जिलों का नाम	**1.** **2.** **3.** **4.**

15. घोषणा पत्रः– (i) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/संविदा नियोजन रदद किया जा सकता है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–17415, दिनांक–20.12.2012 तथा संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की सभी शर्ते मान्य है ।

आवेदक का हस्ताक्षर